पत्रांक– 01/स्टे०–03–09/2026 54 आ.

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोन: 0651–2400981, फैक्स:0651–2400982, ई–मेल: govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषक:

मुकेश कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
सिमडेगा।

राँची, दिनांक 06-07-2026

विषय:– **सिमडेगा जिलान्तर्गत स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बाजारटांड़, सिमडेगा में 50 शैय्यावाले बालक खेल छात्रावास निर्माण हेतु रू० 1,00,00,000/– (एक करोड़) मात्र निधि का आवंटन।**

प्रसंग – विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०– 08/रा०, दिनांक–29.04.2026 तथा प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–48/रा०, दिनांक–25.06.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेशों एवं उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक– 619(ii)/जि०क्री०, दिनांक–11.09.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 के योजना बजट मुख्य शीर्ष 4202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– उप मुख्य शीर्ष–03–खेलकूद तथा युवा सेवा – लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना– उपशीर्ष –22– स्वामी विवेकानन्द स्मारक सहित राज्य के विभिन्न खेल संरचनाओं का निर्माण एवं उन्नयन– विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण– प्राथमिक इकाई– 45– निर्माण कार्य इकाई मद में उपबंधित राशि से रू० 1,00,00,000/– (एक करोड़) मात्र निधि आवंटित की जाती है। (विपत्र कोडः 52S42020379622000545)

2. आवंटन की विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र०	आवंटित किये जाने वाले पदा० का पदनाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि *(विभागीय मॉडल प्राक्कलन अनुरूप)*	वर्त्तमान आवंटित राशि (राशि रू० में)
1	2	3	4	5
1	उपायुक्त, सिमडेगा	स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बाजारटांड़, सिमडेगा में 50 शैय्यावाले बालक खेल छात्रावास निर्माण हेतु	2,83,03,000/–	1,00,00,000/–
		कुल	***2,83,03,000/–***	***1,00,00,000/–***

(एक करोड़) रूपये मात्र।

3. उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा योजना का क्रियान्वयन उनके कार्यालय पत्रांक– 619(ii)/जि०क्री०, दिनांक–11.09.2025 के साथ संलग्न अंचल अधिकारी, सिमडेगा के ज्ञापांक–838, दिनांक–14.09.2023 के द्वारा चिन्हित सरकारी भूमि पर बगैर स्थल परिवर्त्तन के नियमानुसार कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, सिमडेगा होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, सिमडेगा से की जायेगी।

5. उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा विषयांकित योजना का कार्यान्वयन पी०डब्लू०डी० कोड के आलोक में आवासीय खेल छात्रावास निर्माण हेतु निर्धारित विभागीय मॉडल प्राक्कलन (50 शैय्या वाले), जो मुख्य अभियंता, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृत है के अनुरूप कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. योजना का कार्यान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा में ही कराया जाय ताकि पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े।

7. विषयांकित योजना दिनांक–30.09.2027 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा विषयांकित योजना का कार्यान्वयन करने के क्रम में चिन्हित स्थल पर सूचना पट्ट (जिसमें प्रशासी विभाग का नाम, कार्यकारी एजेंसी एवं संवेदक का नाम, एकरारित राशि, कार्य प्रांरभ होने की तिथि एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि दर्ज हो) अधिष्ठापित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

9. आवासीय खेल छात्रावास के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आवासीय खेल छात्रावास को निदेशक, खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को हस्तगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. आवंटित राशि किये गये कार्य के विरूद्ध व्यय किया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम राशि की निकासी नहीं की जायेगी।

11. योजना का कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक– 17. 04.98 एवं कोषागार संहिता के नियम–174 तथा वित्त विभाग के पत्रांक–1955, दिनांक–19.08.05 तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

12. राशि का विचलन कदापि नहीं किया जाए अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

13. यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि स्वीकृत/व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस आवंटन से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

14. उपायुक्त, सिमडेगा समय–समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा योजना हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, झारखण्ड कार्यालय को ससमय समर्पित करते हुए इसका संसूचन अधोहस्ताक्षरी को किया जायेगा।

(मुकेश कुमार)
सरकार के सचिव
राँची, दिनांकः 06-07-2026

ज्ञापांक :- 54/311

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची /आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/जिला क्रीड़ा पदाधिकारी, सिमडेगा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Spo

चालू वितीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 1/ST-03-09/2026/-54

दिनांक - 06-Jul-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 52 42020379622000545 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03 - खेलकूद तथा युवा सेवा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 22 - स्वामी विवेकानन्द स्मारक सहित राज्य के विभिन्न खेल संरचनाओं का निर्माण एवं उन्नयन 00-NA 05 - निर्माण **State Scheme**	37716	SDGDAD014 KANCHAN SINGH DY.COMMISSIONER, SIMDEGA 45 - निर्माण कार्य	10,000,000.00 रुपये एक करोड

State Scheme : CONSTRUCTION & UPGRADATION OF STATE, DISTRICT & SUB DIVISION LEVEL STADIUM/ASTROTURF SWAMI VIVEKANAND MONUMENT/NCC BUILDING & SPORTS INFRASTRUCTURE(1787)

Centeral Scheme :

योग:

क्रमिक योग: रुपये एक करोड 10,000,000.00

(MUKESH KUMAR)
SECRETARY

10.92.23.5

Run Date: 6/7/2026